

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 603

दिनांक 05/05/25

अनवान :-

प्रार्थी वनाम विप्रार्थीगण  
किशनाराम वगैरा बनाम हेमाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 141/2024

दिनांक : 05.05.2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र नवातला राठौडान के मौजा ढाकों का तला के खेत खसरा सं. 350 / 284, 55 रकबा क्रमशः 17.1344, 09.3320 हैक्टर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थिगण के हितो पर कुठाराघात न हो, प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 05/05/25

क्रमांक/भू.अ./2025/ 604 to 607

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी किशनाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण हेमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा



(कुसुमलता चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन